उप-विधियाँ

(संशोधित दिनांक 13.07.2015)

नवीन पंजीयन क्रमांक

मुख्यालय/विविध/2015/268 दिनांक 13.07.2015

अवंति मिल वर्कर्स इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

अवंति मिल परिसर, इन्दौर रोड सनावद जिला खरगौन 451 111 म.प्र.

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन भोपाल–462004

(E-Mail - rcs_mp@yahoo co in, Fax No 0755-2551134

कमांक / विविधि / 02 / 2015 / 55 भोपाल–दिनांक 13-7-2015

:–आदेश–:

अवंति मिल वर्कर्स इंडस्ट्रीयल को0आपरेटिव्ह सोसाईटी लिमिटेड सनावद, जिला खरगौन पंजीयन कमांक / डी0 आर0 / 41खरगौन दिनांक 13–01–2004 ने अपनी वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 20–09–2013 में पारित प्रस्ताव अनुसार संस्था की उपविधियों में संशोधन चाहा गया है। प्रस्ताव का परीक्षणोंपरांत संस्था द्वारा संस्था की संशोधित उपविधियों का पंजीयन म0प्र0सहकारी सोसाइटी अधिनियम एवं नियम में हुए संशोधनों के फलस्वरूप तथा सदस्यों के हित में किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय है।

अतः मै श्री बी0 एस0 शुक्ला, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, म0प्र0 भोपाल म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 11 (2) प्रदत्त शक्तियों म0 प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधि सूचना कमांक–एफ–05–01–99–15–1ए दिनांक 26–07–1999 के द्वारा प्रदत्त की गई है, का उपयोग करते हुए संस्था की वर्तमान उपविधियों को संलग्न परिशिष्ट अनुसार नवीन उपविधियों से प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 13 –07–2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(बी0एस0शुक्ला)
संयुक्त आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश

कमांक / विविधि / 02 / 14 / 55 भोपाल–दिनांक 13-7-2015

प्रतिलिपि:–

1:– अध्यक्ष, अवंति मिल वर्कर्स इंडस्ट्रीयल को0आपरेटिव्ह सोसाइटी लिमिटेड, सनावद जिला–खरगौन।
2:– संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर संभाग इंदौर।
3:– उप आयुक्त सकारिता जिला–खरगौन।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश,
विंध्याचल भवन भोपाल

–पंजीयन प्रमाण पत्र–

अवंति मिल वर्कर्स इंडस्ट्रीयल को0–सोसायटी लिमिटेड सनावद जिला–खरगौन को म0प्र0स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीयन कमांक/डी.आर./ए.आर./41 दिनांक13–01–2004 से पंजीकृत किया गया था। तद्उपरांत संस्था का कार्यक्षेत्र दो संभागों,इंदौर एवं उज्जैन संभाग तक विस्तृत किया गया। म0प्र0स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 को निरसित कर दिया गया है। अतएव एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0स्वायत्यत सहकारिता अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत सहकारिता अवंन्ति मिल वर्कर्स इंडस्ट्रीयल को0–आपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड सनावद, अब म0प्र0सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तत् स्थानीय उपबन्धों के तहत रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जायेगी; तथा म0प्र0सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 (1) के प्रावधानों के तहत इनका नया पंजीयन कमांक/मुख्यालय/विविध/2015/268 दिनांक 13.07.2015 होगा। यह सोसायटी म0प्र0सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 (1) के तहत ओधौगिक वर्ग की सोसायटी के रूप में प्राथमिक सोसायटी वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत होगी। इसके साथ ही म0प्र0सहकारी सोसायटी अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्धों से संगत संस्था की उपविधियां यथावत निरंतर बनी रहेगी ।

(बी0एस0शुक्ला)
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं,मध्यप्रदेश

(अवंति मिल वर्कर्स इण्डस्ट्रीयल को – आपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम 2012 के अनुपालन में)

उपविधि मे संशोधन प्रस्ताव दिनांक 20/09/2013

उपविधि क्र. 1 :– नाम पता एवं कार्यक्षेत्र :

सोसायटी का नाम :– अवन्ति मिल वर्कर्स इण्डस्ट्रीयल को–आपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड,
सोसायटी का संक्षिप्त नाम : अवंति मिल वर्कर्स सोसायटी

पंजीकृत पता :– अवंति मिल परिसर सनावद जिला खरगोन म. प्र.

सोसायटी का कार्यक्षेत्र :– इन्दौर एवं उज्जैन संभाग

नोट : सोसायटी के पंजीकृत पते में किसी भी प्रकार से परिवर्तन होने पर इसकी सूचना पंजीयक, प्रत्येक सदस्य एवं उस सोसायटी को जिसकी यह सोसायटी सदस्य है, 30 दिन के अन्दर पंजीकृत डाक द्वारा दी जावेगी।

उपविधि क्र. –2 परिभाषायें :

इन उपविधियों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

1. अधिनियम : से तात्पर्य म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 एवं संशोधन अधिनियम 2012 से है।
2. सहकारी वर्ष : से तात्पर्य प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।
3. धारा : से तात्पर्य म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 एवं संशोधन अधिनियम 2012 की धाराओ से हैं।
4. उपविधियां : से तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी अथवा पंजीकृत मान्य की गयी उपविधियों से है तथा जो तत्समय प्रवत्त हो

(बी.एम. शुक्ला)
संयुक्त आयुक्त
सहकारिता म.प्र.

अध्यक्ष
अवंति मिल वर्कर्स सोसायटी

और उनके अन्तर्गत उपविधियों को कोई पंजीकृत संशोधन आता है।

5. रजिस्ट्रार : से तात्पर्य धारा –3 के अधीन राज्य सरकार के लिए किसी व्यक्ति को सोसायटी का रजिस्ट्रार से है अथवा उस अधिकारी से है जिसे सोसायटी के संबंध में रजिस्ट्रार की शक्तियों को प्रयोग करने हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत किया हो।

6. लाभांश : से तात्पर्य किसी सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशो के मूल्य के अनुपात में सोसायटी के लाभ में से चुकाई गई रकम से है।

7. सदस्य : से तात्पर्य इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधित संयोजन मे सम्मिलित कोई व्यक्ति/महिला जिसे रजिस्ट्रेशन के बाद उपविधियो अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गयी हो।

8. अध्यक्ष : से अभिप्रेत है कि सहकारी अधिनियम/नियम तथा सोसायटी की उपविधियो के अनुसार नामांकित/निर्वाचित अध्यक्ष/सभापति या चेयरमेन से है ।

9. कार्यक्षेत्र : से तात्पर्य वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जा सकती है।

10. संचालक मंडल : से अभिप्राय है कि अधिनियम की धारा 48 के अधीन गठित संचालक मण्डल/प्रबंध समिति/बोर्ड , जिसे किसी सोसायटी के कार्यकलापो के प्रबंध का संचालन और नियंत्रण सौपा गया हो ।

11. प्रबंध संचालक : से तात्पर्य सोसायटी के कार्य संचालन के लिए संचालक मण्डल / प्रबंधकारिणी /बोर्ड द्वारा नियुक्त सेवारत अधिकारी से है।

12. राज्य शासन : से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है।

13. सेवा निवृत्त : से तात्पर्य अधिनियम की धारा के अन्तर्गत संचालक मण्डल /

प्रबंधकारिणी / बोर्ड द्वारा प्रसारित सेवानियमों से है।

14. सोसायटी : से तात्पर्य उपविधि क्र. –1 में वर्णित सोसायटी से है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उन व्यक्तियों की सोसायटी, जो संयुक्त स्वामित्व के और लोकतांत्रिक उद्यम के माध्यम से अपने सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वैच्छा से संयोजित हुए है।

15. प्रतिनिधि : से अभिप्रेत है वह सदस्य जो सोसायटी का प्रतिनिधित्व अन्य संस्था मे करने के लिए प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

16. संचालक : से अभिप्रेत है बोर्ड के संचालक से है।

17. निर्दिष्ट पद : से तात्पर्य अध्यक्ष /सभापति एवं उपाध्यक्ष/उप सभापति के पद से है।

18. अवन्ति मिल वर्कर्स : से तात्पर्य अवन्ति मिल में कार्यरत भू.पू. एवं वर्तमानश्रमिक/कर्मचारी एवं अधिकारी से है।

19. अवन्ति मिल वर्कर्स सोसायटी : से तात्पर्य अवन्ति मिल के वर्कर्स की सोसायटी जो उपविधि क्र. 1 में सोसायटी के नाम से वर्णित है।

20. प्राधिकारी : से तात्पर्य है म. प्र. सहकारी सधिनियम 2012 की धारा 57 –ग की उपधारा (1) के अधीन गठित म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी से है ।

21. निर्वाचन अधिकारी : से तात्पर्य कोई [illegible] जिसे निर्वाचन प्राधिकारी ने साधारण [illegible] विशेष आदेश द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियुक्त किया हो वि वह संस्था के निर्वाचन हेतु अधिनियम के अधीन

निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्यो का पालन करे ।

22. अंकेक्षक : से तात्पर्य है कि अधिनियम की धारा 58 के अंर्तगत सहकारी सोसायटी की संपरीक्षा के लिए प्राधिकृत संपरीक्षक/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म से है ।

उपविधि क्र. – 3 :– उद्देश्य

इस सोसायटी का उद्देश्य अपने सदस्यों में मितव्ययता, आत्म निर्भरता और सहयोग द्वारा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करने का है इस उद्देश्य की पूर्ति लिए सोसायटी निम्नलिखित कार्य करेगी।

1. अवन्ति मिल वर्कर्स सदस्यों से अमानत प्राप्त करना एवं बंद अवन्ति सूत मिल सनावद को राज्य शासन से क्रय/लीज पर प्राप्त कर मिल का सोसायटी के आधीन संचालन करना तथा सदस्यो को रोजगार उपलब्ध करवाना ।

2. मिल का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण करना ।

3. सूत मिल से संबंधित सहायक उद्योगों का निर्माण एवं संचालन कर मिल को लाभप्रद बनाना ।

4. नवीन औद्यौगिक इकाइयों का निर्माण एवं संचालन कर मिल वर्कर्स को रोजगार उपलब्ध करवाना ।

5. मिल की परिसम्पत्तियों का मिल हित में एवं वर्कर्स के हित में उपयोग करना संधारण करना, एवं उन्ननयन करना, प्रबंध करना, एवं क्रय विक्रय करना ।

6. श्रम कल्याण की योजनाओं का क्रियावयन करना तथा उन्हें लाभान्वित करना ।

7. सदस्यों को सामाजिक एवं मनोरंजन विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और क्रियान्वित करना ।

8. सदस्यो को उनकी आवासीय समस्या के समाधान हेतु सोसायटी की भूमि आवास निर्माण हेतु लीज पर उपलब्ध कराना ।

9. अन्य ऐसे कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति के लिए किया जाना आवश्यक हो ।

उपविधि क्र. –4 सेवा जो सदस्यों को प्रदान की जायेगी

1. सदस्यों की मांग के अनुरूप उचित मूल्य पर घरेलु एवं जीवनपयोगी उपभोक्ता वस्तुओं को उनके निवास पर उपलब्ध कराने की सेवा प्रदान की जावेगी।

2. सोसायटी के सदस्यों को सोसायटी के द्वारा बेची गई वस्तुओं के लिये मरम्मत तथा अन्य सभी सेवा प्रदान करना।

3. सदस्यों द्वारा सोसायटी से क्रय की गयी वस्तुओं पर उचित मूल्य के अतिरिक्त सदस्यों द्वारा [illegible] किया गया कमीशन उपलब्ध करना।

4. सोसायटी के संचालन एवं सोसायटी के माध्यम से सर्वांगीण विकास की [illegible] उपलब्ध करना।

5. सदस्यों को मनोरंजन, खेल कूद, आदि सेवाऐं प्रदत्त करना।

उपविधि क्र. – 5 : सदस्यता –

सोसायटी का सदस्य बनने में निम्न अर्हताए होनी चाहियें :

1. वह सोसायटी के कार्यक्षेत्र का निवासी हो और उसने सोसायटी की उपविधियों को पढ़कर मान्य कर लिया हो सदस्य होने के उपरान्त यदि वह सोसायटी के कार्यक्षेत्र से बाहर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वह सोसायटी का सदस्य नहीं रहेगा।

2. उसका आचरण अच्छा हो।

3. उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो भारतीय विधान के अंतर्गत अनुबंध करने में सक्षम हो, परन्तु मृत सदस्यों के उत्तराधिकारियों के लिए आयु का प्रतिबंध लागु नहीं रहेगा। परन्तु आवश्यक कलेम न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जावेगा। ऐसे सदस्य

अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार का उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुए करेगे जो इन उपविधियों अधिकार है।

4. उसने न्यूनतम 1 अंश क्रय हेतु राशि एवं प्रवेश शुल्क जमा करा दिया हो।

5. उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो।

6. उसे राजनैतिक ढंग की सजा को छोडकर किसी नैतिकता संबंधी अपराध में दण्डित न किया गया हो, परन्तु यदि दण्ड की अवधि से 5 वर्ष व्यतीत हो गये हो तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।

7. उसे किसी सरकारी सेवा/ सहकारी सोसायटी से निष्कासित न किया गया हो तथा वह अधिनियम की धारा 48 ए के अधीन निरर्हित न हो ।

8. यदि उनका बालिग, पुत्र/ अविवाहित, बालिक पुत्री अन्य प्रस्तावित सोसायटी मे सदस्य है तो वह शपथ पत्र में घोषित करेगा कि पुत्र/पुत्री पिता से अलग रहते है।

9. सोसायटी मे निम्न प्रकार के सदस्य होगे :–

' क ' वर्ग सदस्य जिनमें वे व्यक्ति शामिल होगे जो सोसायटी द्वारा संचालित मिल/उद्योग में कार्यरत रहने के साथ – साथ मिल /उद्योग के निरन्तर संचालन हेतु धन राशि वेष्ठित करने के इच्छुक हो तथा आर्थिक/ वित्तिय भार उठाने एवं हानि/जोखिम वहन करने को सहमत हो जो वर्ष 2001 में अवन्ति सूत मिल बंद होने के पूर्व कार्यरत रहे हो अथवा जिनके द्वारा पुनर्वास पश्चात, कम से कम एक वर्ष में 180 कार्यदिवस सोसायटी में कार्य किया हो ऐसे सदस्य को कम से कम 20 अंश क्रय करना अनिवार्य होगा ।

' ख ' वर्ग सदस्य जिनमें वे व्यक्ति शामिल होगे जो सोसायटी द्वारा संचालित मिल/उद्योग में किसी प्रकार का आर्थिक / वित्तिय भार एवं जोखिम उठाने को तत्पर नही है केवल रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से सदस्य बने हो इनके लिए

एक अंश क्रय करना अनिवार्य होगा एवं मिल से व्यापारिक संबंध रखने वाले व्यापारी, प्रतिष्ठान एवं फर्म ' ख ' वर्ग के सदस्य होगें ये सदस्य नाम मात्र के सदस्य होगे । ऐसे सदस्यों को सोसायटी के किसी भी बैठक की सूचना प्राप्त करने अथवा बैठक में भाग लेने एवं निर्वाचन में वोट देने का अथवा प्रबंध समिति में संचालक बनने का अधिकार नही होगा ।

उपविधि क्र. –6 : सदस्यता अभिप्राप्त करने हेतु प्रक्रिया –

आरम्भ में सदस्य वे होगे जिन्होंने सोसायटी के पंजीयन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किये हैं। उसके बाद नये सदस्य बोर्ड / कार्यकारिणी समिति / संचालक मण्डल की स्वीकृति से सम्मिलित किये जावेगे।

सोसायटी की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक आवेदन को अध्यक्ष एवं उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक द्वारा प्राप्त किया जावेगा। उक्त पदाधिकारियों को यह कर्तव्य होगा कि संचालक मण्डल की प्रत्येक बैठक में उस बैठक तक प्राप्त सभी सदस्यता आवेदनों को बोर्ड के निर्णय हेतु प्रस्तुत करें, जिन पर बोर्ड अधिनियम एवं उपविधियों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बन्धी निर्णय लेगा।

2. बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदनों को स्वीकृत करें या उपविधियों के अनुसार अस्वीकृत करें किन्तु यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो बोर्ड के लिए अनिवार्य होगा कि वह आवेदन पत्र की अस्वीकृति के कारणों सहित 30 दिवसों के अन्दर आवेदक को रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्तिगत तामिली द्वारा संसूचना प्राप्त होने की 60 दिन की कालवधि का अवसान हो जाने के 15 दिन के अन्दर पंजीयक को अपील कर सकेगा।

3. सोसायटी द्वारा सदस्यता आवेदन भेजना तथा सदस्यता पंजी रूप में दो पृथक–2 पंजिया रखी जावेगी। प्रथम पंजी में नवीन सदस्यता हेतु एवं सदस्यता समाप्त हेतु प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जावेगी तथा दूसरी पंजी (सदस्यता पंजी) में सदस्यता प्रदान करते ही सदस्य के संबंध में प्रविष्टियां

अंकित की जावेगी। इन दोनों पंजियों में प्रविष्टयां क्रमानुसार ही की जावेगी और किसी भी स्थिति में इनका कोई उपवाद नहीं होगा।

4. सदस्यता बनाये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। यदि प्रार्थना पत्र स्वीकृत न हुआ तो प्रवेश शुल्क वापिस नहीं होगा।

5. नामांकन–प्रत्येक सदस्य को अपना उत्तराधिकारी मनोनित करने का अधिकार होगा। जिस सदस्य के मरने पर उसकी यदि कोई रकम सोसायटी में जमा हो तो वह उसको वापस दी जा सके अथवा उसके नाम परिवर्तित की जा सके। उत्तराधिकारी की मनोनीत और बाद में उसमें परिवर्तन साक्षियों के सक्षम लिखा जावेगा।

6. उसको यह भी लिखकर देना होगा कि वह सोसायटी की उपविधियों के अन्तर्गत बनाई गई विधियों तथा इन दोनों में जो संशोधन उसकी सदस्यता की अवधि में हो उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा।

उपविधि क्र. – 7 : सदस्यता की समाप्ति–

1. यदि सोसायटी के सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के पश्चात् किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उपविधियों में विनिर्दिष्ट निरर्हता के कारण निरर्हित हो जाता है तो वह सोसायटी का सदस्य नहीं रह जायेगा।

2. सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रत्येक सोसायटी सदस्य के नाम निर्देशिती को इसकी सूचना देगा तथा प्रत्येक अन्य स्थिति में सदस्य की समाप्ति पर हिसाब तय करने के लिये सदस्य को सूचना देगी।

उपविधि क्र. – 8 : सदस्यता से हटाया जाना –

1. बोर्ड इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले तीन चौथाई संचालकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी सदस्य को सदस्यता से हटा सकेगा। यदि वह

(1) सदस्य कोई ऐसा आचरण करता है जिससे सोसायटी की साख को क्षति पहुंचने या बदनामी होने की संभावना हो। या

(2) जानबूझ कर सोसायटी को धोखा देता है । या

(3) सोसायटी के उद्देश्यों के विरूद्ध प्रतिकूल रूप से कार्य कर चुका है या कार्य सोसायटी के हितों के लिए हानिकारक है या

(4) सदस्य के रूप में प्रवेश दिये जाने के पश्चात् समान उद्देश्य वाली किसी अन्य ऐसी सोसायटी का सदस्य बन जाता है जो उसकी अधिकारिता में कृत्य कर रही है, जिसका कि वह सदस्य है।

परन्तु ऐसा कोई संकल्प सदस्य बोर्ड के सम्मिलन में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जावेगा।

(5) सोसायटी द्वारा पारित संकल्प से व्यथित कोई सदस्य ऐसे संकल्प की तारीख से 30 दिन के भीतर पंजीयक को अपील कर सकेगा।

(6) सोसायटी का कोई भी सदस्य जिसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है सोसायटी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश के लिए 5 वर्षो से अनाधिक ऐसे कालावधि जैसा कि संकल्प विनिर्दिष्ट की जावे, पात्र नहीं होगा।

उपविधि क्र. – 9 : सदस्यों का रजिस्टर–

प्रत्येक सोसायटी सदस्यों का एक रजिस्टर संधारित करेगी। सोसायटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति का नाम ऐसी विशिष्ठियों के साथ रजिस्टर में प्रविष्ट किया जावेगा जो कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जावें।

किसी व्यक्ति का नाम –

(1) जिसने सदस्यता वापस ले ली हो या

(2) जो सदस्य न रह गया हो या

(4) सहकारी अधिनियम के अधीन सदस्यता समाप्त कर दी गयी हो सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जावेगा। परन्तु खण्ड 1 या 4 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर से तब तक नहीं हटाया जावेगा जब तक कि यथास्थिति सहकारी अधिनियम के अधीन की गयी अपील पर पंजीयक का विनिश्चय नहीं हो जाता है।

उपविधि क्र. – 10 : सदस्यों के अधिकार –

सोसायटी प्रत्येक सदस्य को निम्न अधिकार होगें –

1. सोसायटी द्वारा सदस्यों को प्रदान की जा रही सेवा का लाभ उठाने का अधिकार।

2. सदस्यता से निष्कासन की स्थिति में अपील का अधिकार।

3. अपने में से सोसायटी की प्रबंध समिति/बोर्ड के संचालक चुनने का अधिकार।

4. सोसायटी की आमसभा में भाग लेकर मत देने का अधिकार।

5. सोसायटी की गतिविधियों एवं उसकी प्रगति के बारे में जानकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबंधक को लिखित आवेदन देकर प्राप्त करने का अधिकार।

6. सोसायटी के किसी कर्मचारी द्वारा की जा रही अनियमियता की सूचना अध्यक्ष/प्रबंधक को देने का अधिकार।

7. सोसायटी के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने वाले सदस्य की जानकारी अध्यक्ष / प्रबंधक को देने का अधिकार।

8. सदस्यता से त्याग पत्र देकर अंशपूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार।

9. नामांकन का अधिकार।

10. सोसायटी के अन्य सदस्य को जिनको सोसायटी की सदस्यता प्रदान की जा चुकी है अंश हस्तानतरण का अधिकार।

उपविधि क्र. – 11 : सदस्यों के मत प्रयोग की रीति और पात्रता बनाये रखने की न्यूनतम प्रतिबद्धतायें –

सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को सदस्यता बनायें रखने व मत देने के लिए पात्रता धारण करने के लिए कृत्य आवश्यक होगे।

1. सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालक मण्डल/बोर्ड को सहयोग करना।

2. सदस्यता की अनिवार्यता बनाये रखना।

3. सोसायटी के हितों के विरूद्ध कार्य न करना।

4. सोसायटी के व्यवसाय के सामन ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ न करना जिससे सोसायटी के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं।

5. सोसायटी द्वारा जिन शर्तो पर सदस्यता दी गई है उनका पालन करना।

6. सोसायटी के संचालकों द्वारा विधि सम्मत दिये गये निर्देशों का पालन करना।

7. सोसायटी के पक्ष में उसकी देयता को समय पर पूर्ण करना।

8. प्रारम्भिक सोसायटीओं के सदस्यों को समान मत देने का अधिकार होगा (एक सदस्य एक मत) उसी प्रकार सोसायटीओं के मामले में ऐसी सोसायटीओं को मत देने का अधिकार होगा। (एक प्रतिनिधि एक मत) किसी भी सदस्य को परीक्ष मत देने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति मत देने के लिए पात्र बनने के पूर्व कम से कम एक पूर्ण वित्तीय वर्षो के लिए सदस्य रह चुका है। जो सोसायटी की रजिस्ट्रीकरण के समय सदस्य रहे उस पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

उपविधि क्र. – 12 : सदस्य द्वारा शोध्य किसी रकम के संदाय म व्यतिक्रम का परिणाम –

किसी सदस्य द्वारा सोसायटी में शोध्य किसी रकम के संदाय को व्यतिक्रम के परिणाम स्वरुप निम्न बिन्दु प्रभावशील होगे :–

1. यदि व्यतिक्रम की अवधि 12 माह से अधिक होगी तब सदस्य अपने मत का प्रयोग बोर्ड या आमसभा/विशेष आमसभा या सोसायटी के कार्य संबंधी बैठक में नहीं कर सकेगा।

2. यदि व्यतिक्रम की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो जाती है तो सदस्य सोसायटी की रकम जमा करने की अवधि बढाने का कोई तथ्य पूर्ण व प्रेक्टिकल प्रस्ताव नहीं करता है वह अधिनियम के अनुसार रकम वसूली करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।

3. व्यतिक्रम की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो जाने पर सदस्यता समाप्ति का प्रस्ताव बोर्ड विचारार्थ हेतु रखा जाकर निर्णय लिया जा सकेगा। परन्तु ऐसा निर्णय लेने के पूर्व सदस्य को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जावेगा।

उपविधि क्र. – 13 : अधिकृत अंशपूंजी –

सोसायटी की अधिकृत अंशपूंजी रू. 1000.00 लाख होगी। इस प्राधिकृत अंशपूंजी में कमी अथवा वृद्धि निर्णय व्यापक सम्मिलन में ठहराव से दिया जा सकेगा।

उपविधि क्र. – 14 : सदस्यों के अंश –

1. प्रत्येक सदस्य को कम सेकम एक अंश लेना आवश्यक होगा। कोई भी सदस्य अंश पूंजी के 1/5 या रुपये 20000 से अधिक के अंश नही ले सकेगा। यदि किसी मृत सदस्य का उत्तराधिकारी होने से अथवा अन्य किसी कारण से किसी के पास इस सीमा से अधिक मूल्य के अंश हो जावे तो बोर्ड को अधिकार होगा की अधिक अंश लेने वालों को बेच दे।

2. एक अंश का मूल्य रुपये 1000/– होगा और सदस्य को लिए गये अंशो का पूरा मूल्य एक साथ जमा करना होगा।

उपविधि क्र. – 15 : अंश प्रमाण पत्र व हस्तान्तरण –

1. एक अंश प्रमाण पत्र लिए हुए अंश अथवा अंशों के लिए दिया जावेगा जिस पर सोसायटी के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर होगे और सोसायटी की मुद्रा लगाई जावेगी। कोई सदस्य अंश को कम से कम एक वर्ष के बाद बोर्ड की स्वीकृति से किसी दूसरे सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे सदस्य बनाना समिति ने स्वीकृत किया हो हस्तांतरण कर सकता है।

2. किसी भी हिस्से की बिक्री, उपहार बंधक या अन्य किसी प्रकार से तब तक हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा तब तक कि उसकी पूरी रकम प्राप्त न हो जावें और हिस्से लेने के संबंध में उपविधि में निर्धारित अधिकतम सीमा संबंधी शर्तें पूरी न की जाय।

3. यदि किसी सदस्य के पास दान स्वरूप या अन्य किसी प्रकार से उपविधि में लिखित अधिकतम सोसायटी से अधिक हिस्से हो जाये तो बोर्ड की यह शक्ति होगी वह इन अतिरिक्त हिस्सों को बेच दे या सोसायटीकी ओर इन्हें खरीद ले।

उपविधि क्र. — 16 : सदस्य का दायित्व —

1. ऋण तथा अन्य देने के लिए सोसायटी पर सदस्यों का दायित्व उनके अंशो के कुल मूल्य के दस गुना तक रहेगा।

2. पिछले सदस्यों का दायित्व उस ऋण तथा अन्य देने के लिए जो सोसायटी पर उसके होने के समय हो उसके अलग होने से दो वर्ष तक रहेगा।

3. मृत सदस्य सम्पत्ति ऋण तथा अन्य देने के लिये जो उसके मरने की तारीख को सोसायटी पर हो सदस्य के उत्तराधिकारी मरने की तारीख से दो वर्ष तक उत्तराधिकारी होगे।

उपविधि क्र. — 17 : पूंजी व निधियां —

1. (क) सोसायटी की पूंजी निम्नलिखित साधनों से एकत्रित की जावेगी ।

(1) प्रवेश शुल्क द्वारा

(2) अंश निर्गमन द्वारा

(3) अमानतें जमा करा के तथा अग्रिम धन लेकर

(4) अनुदान लेकर

(5) लाभ में से रक्षित निधि बनाकर

(ख) आमसभा/ रजिस्ट्रार की स्वीकृति के बिना ऋण तथा अमानत की रकम अंशो की वसूली की हुई रकम तथा रक्षित निधि के 10 गुना अधिक नहीं होगी। सोसायटी की पूंजी उपविधि 3 में उल्लेखित कार्यो में लगाई जावेगी।

(ग) सदस्यों से ऋण और जमा रकमें उस सीमा और उन शर्तो के अधीन ली जावेगी जो आमसभा द्वारा निर्धारित की जावे। इस ऋण में वह रकम नहीं होगी जो कच्चा माल या उत्पादित माल को रहन रखकर बैंको से उधार ली हैं।

(घ) सोसायटी अन्य सोसायटी, सहकारी सोसायटी, राज्य शासन में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन बैंक, वित्तीय निगमों और व्यक्तियों से निक्षेप व उधार प्राप्त कर सकेगी। नाममात्र की सदस्यता प्रदान कर विशिष्ट करार या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूंजी के रूप में निधि भी प्राप्त सकेगी तथा किसी अन्य सोसायटी, सोसायटी तथा नाममात्र सदस्य को अधिनियमों के प्रावधान के अनुरूप उधार दे सकेगी ।

उपविधि क्र. – 18 : निधियों का प्रयोग –

सोसायटी की निधियों का प्रयोग सोसायटी के गठन के उददेश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक एवं संबंधित गतिविधियां संचालित करने मे समान्यतः किया जावेगा।

उपविधि क्र. – 19 : निक्षेप ऋण पत्र एवं अन्य विधियां सीमा व शर्ते –

सोसायटी अपनी प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि में से संचित हानि घटाने के बाद बची राशि से अधिकतम 20 गुना तक निक्षेप ऋण पत्रों के माध्यम से निधियां

सदस्यों / सदस्यों वित्तीय सोसायटीनो से प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिए शर्तें/बोर्ड/आमसभा में अनुमोदन उपरान्त तय की जावेगी। सोसायटी लोन एवं अमानतों के लिए अलग से पूंजी रखेगी जिसमें आवश्यक प्रविष्टियां होगी इसकी जानकारी आमसभा के सदस्यों को दी जावेगी।

उपविधि क्र. – 20 : निधियों और लाभों का अभियोजन –

1. किसी सोसायटी द्वारा जुटाई गई निधियां प्रमुखतया उसके उद्देश्यों के लिये होगी।

2. शुद्ध लाभों से भिन्न किसी सोसायटी की निधियों का कोई भाग उसके सदस्यों में, बोनस लाभांश (डेविडेड) के रूप में अथवा अन्यथा वितरित नहीं किया जावेगा।

3. कोई सोसायटी किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभों में से सदस्यों की संदत्त अंशपूंजी पर साधारण निकाय के वार्षिक साधारण सम्मिलन में नियत की गई दर लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान कर सकेगी।

4. कोई सोसायटी अपनी निधियों के उतने भाग को जितने कि उसके कारोबार में उपयोग में लाए जाने की आवश्यकता नहीं है अपने कारोबार से बाहर किसी गैर सट्टेवाली रीति से विनिहित या निक्षिप्त कर सकेगी।

उपविधि क्र. – 21 : अधिशेष का निपटारा –

आमसभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा :–

1. कम से कम 25% राशी रक्षित निधि में स्थानांतरित की जायेगी ।
2. शेष राशी में से 25% तक लाभांश का वितरण अंशधारियों को आमसभा से अनुमोदन उपरांत किया जायेगा ।
3. शेष धन में से संस्था के कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1965 के प्रावधानों के अनुसार बोनस ।

4. बाकी रकम रक्षित निधी मे या संस्था के सदस्यो के लिये सामाजिक मनोरंजन / शैक्षणिक कार्यो हेतू उपयोग अथवा इस हेतू निर्मित निधी मे जमा की जायेगी ।

नोट : हस्तान्तरित किए हुए अंशो का लाभांश उन सदस्यों को दिया जावेगा जिनके नाम पिछले वर्ष के अंतिम दिवस पर रजिस्टर में अंकित हों।

उपविधि क्र. – 22 : घाटे का प्रबंध –

1. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सोसायटी के कारबार की संक्रियाओं से उद्भूत होने वाला घाटा यदि कोई हो, सुरक्षित निधि, यदि कोई हो या उसके सदस्यों पर प्रभार्य के रूप में घाटे के एक भाग का सम्पूर्ण भाग का विकलन करते हुए पूर्णत: परिनिर्धारित किया जायेगा।

2. किसी भी सदस्य को सोसायटी की सदस्यता प्रत्यामूत करने की अनुज्ञा उसके द्वारा घाटे में समाशोधन किए बिना नहीं दी जायेगी।

3. जहां घाटा अनुमोदित योजना का बजट से विचलन के परिणाम स्वरूप होता है या जो कुप्रबंध का परिणाम है तो इसकी पूर्ति संचालको या कर्मचारियों से अनुक्रम मे की जायेगी।

उपविधि क्र. – 23 (अ) : साधारण निकाय –

साधारण सभा की बैठक प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के छः माह के अंदर आहूत करना आवश्यक होगी।

1. सोसायटी की वार्षिक आमसभा में शक्तियां विद्यमान होगी, साधारण सभा की बैठक प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अन्दर आहूत करना आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यकता होगी। बोर्ड / संचालक मण्डल के प्रस्ताव अथवा सोसायटी के कम से कम 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र जिसमे आम सभा का उद्देश्य हो अथवा

पंजीयक के आदेश की विशेष आम सभा बैठक 1 माह के अंदर बुलाई जावेगी ।

2. सोसायटी में साधारण निकाय को कारोबार के संबंध में पूर्ण अधिकार होगे। सोसायटी के पंजीयन के पश्चात् प्रथम आमसभा को भी वही अधिकार होगे जो उपविधियों में वार्षिक आमसभा को दिये गये है।

3. बैठक की सूचना आमसभा की कार्य सूची दिनांक समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 दिवस पूर्व दी जायेगी; उपविधियों में संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूपरेखा के साथ प्रत्येक सदस्य को 14 दिन पूर्व दी जावेगी।

आमसभा विशेष – आमसभा की सूचना निम्न प्रकार दी जावेगी –

ऐसी सोसायटी के मामले में जो नगरीय क्षेत्र में स्थित हो साधारण डाक या व्यक्तिगत तौर पर तामील कराकर दी जावेगी एवं सूचना सोसायटी के क्षेत्र मे परीचालित अधिकतम दो स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र मे प्रकाशित की जावेगी ।

3. गणपूर्ति / कोरम – आम सभा या विशेष आमसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगीं जो आमसभा या विशेष आमसभा की सूचना जारी करने के दिनांक को सोसायटी की कुल सदस्य संख्या का 1/10 अथवा 50 सदस्यों से होगी। यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक की सूचना में उल्लेखित न होने की दशा में ऐसे समय या तारीख तक सम्मिलन स्थगित कर दिया जावेगा, जिसे अध्यक्ष/सभापति उचित समझे। यथा सम्मिलन हेतु निर्धारित कार्यो को अगले सम्मिलन में लाया जाएगा चाहे ऐसे सम्मिलन में गणपूर्ति हो अथवा न हो।

ऐसे स्थगन की सूचना जो सोसायटी के मुख्यालय पर उसी दिन चिपकाई गई हो जिस दिन सम्मिलन स्थगित किया गया हैं, होने वाले अगले सम्मिलन के लिए पर्याप्त सूचना समझी जावेगी।

4. मूल सम्मिलन हेतु नियम कारोबार से भिन्न कारोबार ऐसे पश्चातवर्ती सम्मिलन में नहीं किया जायेगा।

उपविधि क्र. – 24 : साधारण सभा में मताधिकार –

व्यापक साधारण सम्मिलन में प्रत्येक उपस्थित सदस्य को उसके कितने ही अंश क्यों न लिए हो केवल एक मत देने का अधिकार होगा। कोई सदस्य अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं कर सकेगा। उन मामलों के अतिरिक्त जिनके निर्णय के लिए सोसायटी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सोसायटी की उपविधियों में विशेष बहुमत से होगी। दोनों पक्ष समान मत होने की स्थिति में अधिनियम प्रावधान अनुसार निर्णय होगे परन्तु चुनाव के अतिरिक्त सामान्य विषयों में मतगणना हाथ उठाकर अथवा उसी पद्धति से जो सभा के अध्यक्ष द्वार निश्चित की जाय सम्पन्न होगी।

उपविधि क्र. – 25 : साधारण निकाय के सम्मिलन के विषय –

साधारण सम्मिलन की विषय सूची सोसायटी अधिनियम में साधारण निकाय के कृत्य उत्तरदायित्व एवं शक्तियो में दिये अनुसार होगे परन्तु व्यापक सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत से कोई सदस्य कार्य सूची में शामिल न किया हुआ प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा प्रश्न किसी सदस्य के निकाले जाने अथवा निकाले हुए सदस्यों को फिर भर्ती करने अथवा इन उपविधियों से संशोधन करने के संबंध में अथवा ब्याज व पारिश्रमिक की दरों में घट–बढ़ करने के बारे में नहीं होगा।

उपविधि क्र. – 26 : साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता –

सोसायटी का अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि दोनों उपस्थित न हो तो सोसायटी के अन्य उपस्थित सदस्यों में से जिसको उचित समझे साधारण/विशेष सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा।

परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि अधिनियम की धारा 48(8) या 53(13) के तहत निर्वाचित प्रबंध समिति के स्थान पर प्रशासक नियुक्त हो बैठक की अध्यक्षता रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्र. – 27 : साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार –

वार्षिक साधारण सम्मिलन में उन कार्यो के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हो निम्नलिखित कार्य होगें –

1. इन उपविधियों के अनुसार संचालक मण्डल/ बोर्ड के संचालकों का चुनाव करना।

2. दीर्घ कालिक योजना और बजट पर विचार करना।

3. वार्षिक कार्यकारी योजना और चालू वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार।

4. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की गतिविधियों के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।

5. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष लेखा के संपरीक्षित वित्तीय विवरणों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित संपरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार।

6. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आधिक्य का निपटारा।

7. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के घाटे का प्रबंधन यदि कोई हो।

8. आरक्षित और अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग का पुनर्विलोकन।

9. लाभ का वितरण स्वीकृत करना ।

10. वित्तीय वर्ष में संचालक मंण्डल के कारण हुए घाटे के कारणो का परीक्षण करना

11. लेखाओ की संपरीक्षा करने के लिए संपरीक्षक की नियुक्ति करना ।

12. सोसायटी के कार्य संचालन के लिए उपविधियो में आवश्यक संशोधन करना।

13. गत साधारण सम्मिलन की कार्यवाहियों की पुष्टि करना।

14. अन्य बातों पर विचार करना जो बोर्ड/ संचालक मण्डल के सदस्य / संचालको द्वारा प्रस्तुत किये जावे।

15. बोर्ड के सदस्यों / संचालकों पर बकाया लोन व अन्य अग्रिम की जानकारी से अवगत करना।

16. संचालकों को हटाया जाना।

17. अन्य सोसायटीओ के साथ भागीदारी।

18. आस्तियों और दायित्वों का सम्मामेलन, विभाजन, संविलियन नया अंतरण।

19. रजिस्ट्रार द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर विचार या जांच के पूरे न होने के लिए कारणों पर विचार।

उपविधि क्र. – 28 : उपविधि बनाने – संशोधन करने की रीति –

सोसायटी के गठन के समय प्रस्तुत उपविधियां रजिस्ट्रार के अनुमोदन के उपरान्त लागू होगी तदुपरान्त सिवाय आमसभा या विशेष आमसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नहीं हो सकेगा। सम्मिलन / सभा बुलाने के सूचना के सूचना पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जायेगा, और सूचना पत्र कम से कम 14 दिन पहले दिया जायेगा, ऐसा संशोधन इस समय तक व्यवस्था में न आ सकेगा जब तक कि रजिस्ट्रार स्वीकृत कर उसका पंजीयन न कर ले।

उपविधि क्र. – 29 : निर्वाचन संचालन की प्रक्रिया :

सोसायटी के संचालक मण्डल के सदस्यो/उपाध्यक्ष /अध्यक्ष एवं अन्य सोसायटीओ में प्रतिनिधित्व करने हेतु सदस्यों के चुनाव का संचालन म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 तथा म.प्र. सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम 2012 तथा उसमें समय – समय पर हुए संशोधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार होगा।

उपविधि क्र. – 30 : प्रबंध समिति / संचालक मण्डल का गठन –

सोसायटी का कार्य संचालन के लिए एक प्रबंध समिति / संचालक मण्डल का गठन किया जायेगां इसमें 11सदस्य होगें इनका निर्वाचन साधारण निकाय की इस हेतु बुलाई गई बैठक में होगा। बोर्ड का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

सोसायटी की प्रबंध समिति में निम्नानुसार स्थान आरक्षित होंगे :–

अ. यदि सोसायटी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के वैयक्तिक सदस्य हो तो एक स्थान उस प्रवर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिसके अन्य की अपेक्षा अधिक सदस्य हो ।

ब. प्रत्येक सहकारी सोसायटी के संचालक मण्डल में जिसमें वैयक्तिक महिला सदस्य हों दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखें जाएंगे ।

1. संचालकों की पदावधि बोर्ड के प्रथम सम्मिलन आयोजित किये जाने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. बोर्ड द्वारा अन्य सोसायटी / सोसायटीयों में प्रतिनिधत्व के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जावेगा जिनकी पदावधि बोर्ड की उस अवधि की सह–विस्तृणी होगी जिसके लिए प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है।

3. संचालक मण्डल का निर्वाचन हो जाने के बाद संचालक सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष/दो उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगे साथ ही अन्य सोसायटी/सोसायटिओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी करेगे और ऐसे चुने हुए प्रतिनिधी को सोसायटी के चुनाव होने तक वापिस नही बुलाया जा सकेगा ।

1. पदेन संचालक का प्रवधान नही है ।

उपविधि क्र. – 31 : संचालकों के लिए पात्रता –

किसी भी व्यक्ति में सोसायटी को संचालक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताये होना आवश्यक है –

1 निर्वाचन तिथि से पूर्व एक वित्तीय वर्ष तक सोसायटी का सदस्य रह चुका हो तथा कम से कम दो सौ शेयर का स्वामी हो। (प्रथम संचालक मण्डल के लिए लागू नहीं होगी)।

2 ऐसे सदस्य जो सोसायटी के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार रखते हो।

3 ऐसे सदस्य का सोसायटी के साथ की गई किसी अस्तित्वशील संविदा में या उसके लिए किए जा रहे किसी कार्य में, उपविधियों मे अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय, कोई धन संबंधी हित नहीं है । और

4 वह सोसायटी के लिए लोन या अग्रिम चुकाने में 12 माह से अधिक का डिफाल्टर न हो।

5 केन्द्र/राज्य सरकार या सहकारी सस्था में दर्ख़ास्त न किया गया हो।

6 मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम के अनुसार प्रबंध समिती का पद धारण करने के लिए अयोग्य न हो।

7 दिवालिया या पागल न हो।

उपविधि क्र. – 32/1 : संचालक के पद पर बने रहने की अर्हताए –

कोई भी व्यक्ति सोसायटी के संचालक पद पर तब तक बना रह सकता है –

1. जब तक वह संचालक नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यतायें पूर्ण करता हो।

2. जब तक भारतीय संविधान के अनुसार अनुबंध करने के योग्य हो।

3. जब तक उसे निर्वाचित होने के बाद में किसी योग्यता के धारण न करने के कारण संचालक पद से हटा न दिया गया हो।

4. जब तक वह लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित न रहा हो।

उपविधि क्र. – 32/2 : अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष / संचालक को हटाने और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया –

1. संचालक मंडल के किसी भी सदस्य/पदाधिकारियों को संचालक मंडल से हटाने के लिए उनके विरूद्ध लाये गये प्रस्ताव संचालक मंडल अपनी बैठक में मत देने के लिए उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के बहुमत से ऐसे संचालक या अन्य पदाधिकारियों को हटाने की अनुशंसा करने का प्रस्ताव पास करेगा तथा संबंधित सदस्यों/पदाधिकारियों को हटाने की अनुशंसा करने का प्रस्ताव पास करेगा तथा संबंधित सदस्यों / पदाधिकारियों को ऐसा प्रस्ताव पास करने उपरान्त न्यूनतम 15 दिन की अवधि में जवाब देने का अवसर देते हुए कारण बताओं नोटिस व्यक्तिगत रूप से लेकर अथवा पंजीकृत डाक से अध्यक्ष अथवा इसकी अनुपलब्धता पर उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जा सकेगा। उक्त नियत अवधि के बीतने के उपरान्त अथवा समयावधि में प्राप्त जवाब को संतोषप्रद न पाये जाने पर संचालक मंडल द्वारा अपनी अगली बैठक में मत देने के लिए उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ऐसे संचालक / पदाधिकारी को संचालक मंडल से हटाने का निर्णय पारित किया जा सकेगा। संचालक मंडल के किसी सदस्य / पदाधिकारी को हटाने के लिए जारी नोटिस में उन कारणों का स्पष्टतः उल्लेख किया जायेगा, जिन पर विचार उपरान्त संचालक बोर्ड द्वारा उसे हटाये जाने की अनुशंसा की गयी हो। ऐसे किसी भी पदाधिकारी/संचालक को हटाये जाने का निर्णय होने पर अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष अथवा संचालक मंडल द्वारा नियुक्त सदस्य के हस्ताक्षर से जारी सूचना पत्र से संबंधित को व्यक्तिगत रूप से पावती लेकर या पंजीकृत डाक से प्रेषित कर निर्णय से अवगत कराया जा सकेगा संबंधित संचालक/पदाधिकारी ऐसे किसी भी निर्णय के विरूद्ध पंजीयक के पास, उसे हटाये जाने के निर्णय के आदेश के जारी होने के दिनांक से अधिकतम 30 दिनों के अन्दर अपील कर सकेगा।

2. रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया – यदि किसी समय प्रबंध समिति में से किसी सदस्य /संचालक का पद सोसायटी द्वारा अन्य सहकारी सोसायटीओ को भेजे गये प्रतिनिधि या सोसायटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद का त्याग देने देहावसान हो जाने अन्यथा रिक्त हो जाता है यदि संचालक मण्डल की अवधि उसकी मूल अवधि से आधे से कम है तो संचालक मण्डल सदस्यों के उसी वर्ग से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उद्भूत हुइ नाम सहयोजन द्वारा आकस्मिक रिक्त भर सकेगा । संचालक मण्डल की अवधि उसकी मूल अवधि से आधे से ज्यादा है तो सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति (कोरम) होना आवश्यक होगा ।

उपविधि क्र. – 33 : बोर्ड के सम्मिलन को बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति–

बोर्ड का सम्मिलन किसी भी समय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकेगा और उसके कार्य करने में असमर्थ रहने की दशा मे उपाध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकेगा किन्तु एक वित्तीय वर्ष में बोर्ड के कम से कम चार सम्मिलन आयोजित किये जावेगे तथा किन्हीं दो क्रमवर्ती सम्मिलनों के बीच की कालावधि एक सौ बीस दिन से अधिक नही होगी।

2. संचालक मंडल का सम्मिलन एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर बुलाया जा सकेगा ऐसे सूचना पत्र में सम्मिलन का स्थान, दिनांक समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। सूचना पत्र व्यक्तिशः तामिल कराया जायेगा या नामांकित व्यक्ति के कार्यालय पर या संचालक के निवास पर बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर पर छोडा जा सकेगा। बैठक के लिए निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय के 30 मिनट बीतने पर भी कोरम न हो तो बैठक दूसरी अन्य तारीख समय व स्थान के लिए स्थगित कर दिया जावेगा। जैसा सूचना पत्र में उल्लेखित हो, अन्यथा सदस्य निश्चित करे। परन्तु ऐसी बाद मे होने वाली बैठक के लिए कोरम आवश्यक नही होगा।

3. आवश्यक परिस्थिति में जब बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय न हो तो संचालको में कागजात घुमाकर आदेश प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कागजात घुमाकर लिये गये निर्णय को बोर्ड की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जावेगा।

4. कोरम : संचालक मंडल की बैठक के लिये कोरम पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा।

उपविधि क्र. – 34: संचालक मंडल की बैठक के सम्मेलन की आवृत्ति कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, बहुमत का विनिश्चय –

1. संचालक मंडल की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी। परन्तु कम से कम एक वित्तीय वर्ष में चार बार सम्मिलन अवश्य बुलाया जावेगा। यदि संचालक मंडल का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में संचालक मंडल की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो संचालक मंडल द्वारा उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद संचालक मंडल की सदस्यता से अलग किया जा सकेगा । ऐसा अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक संचालक नहीं चुना जा सकता।

2. सब प्रस्तावों के निर्णय बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जावेगे और मतों के बराबर होने की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी या द्वितीयक का निर्णायक मत होगा।

परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के निर्वाचन में मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा परिणाम का विनिश्चय लाट निकाल कर किया जायेगा।

3. सोसायटी अपनी कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रत्येक संचालक सम्मिलन/साधारण निकाय सम्मिलन की कार्यवाही को कार्यवृत्त और उसमें उपस्थित सदस्यों/प्रत्यायुक्तों /संचालकों के नाम हिन्दी में उपविधियों में विहित की गई

किसी अन्य भाषा में अभिलिखित करेगी और उसकी पुष्टि उसी सम्मिलन या आगामी सम्मिलन में करेगी तथा उसकी प्रति प्रत्येक ऐसे सम्मिलन की समाप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यथा स्थिति समस्त प्रत्यायुक्तयों या सदस्यों या संचालकों को भेजेगी।

4. **इस प्रकार अभिलिखित कार्यवृत्त :** –

(क) साधारण सम्मिलन या प्रत्यायुक्त या निकाय सम्मिलन की दशा में उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगे जिसने उक्त सम्मिलन की अध्यक्षता की है।

(ख) बोर्ड के सम्मिलन की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगे जिसने उक्त सम्मिलन की अध्यक्षता की है या ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगे जो आगामी ऐसे सम्मिलनों की अध्यक्षता करता है जिसमें कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

उपविधि क्र. – 35 :संचालक मंडल के अधिकार और कर्तव्य –

संचालक मंडल के निम्नानुसार अधिकार एवं कर्तव्य होगे सोसायटी के सर्वोत्तम हित में ईमानदारी से तथा सद्भावपूर्वक कार्य करेगा और ऐसी सम्यक सतर्कता, तत्परता तथा कौशल का प्रयोग करेगा जैस कि युक्तियुक्त रूप प्रज्ञावान व्यक्ति समान परिस्थितियों में करता है।

1. उन प्रस्तावों का पालन करते हुए जो साधारण निकाय समय–समय पर पारित करें, उसके सोसायटी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भूमि, भवन, वाहन या चल/अचल सम्पित्तियां मोल लेना प्राप्त करना। पटटे पर लेना, गिरवी रखना, किराये पर देना या अपने पास रखना, बेचना, पट्टे पर देना या अन्य संबंधित कार्य करना उक्त कार्य संचालक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त ही सम्पन्न किये जा सकेंगे।

2 सोसायटी के समस्त वैतनिक कर्मचारीयों की नियुक्ति, उनको अधिकार एवं कार्य आवंटित करना, दण्डित करना, पदोन्नत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूति लेना, उनकी योग्यताए व सेवा शर्तें निर्धारित करना।

3 साधारण निकाय द्वारा स्वीकृत बजट के अन्दर खर्च करना।

4 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना और उनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के सदस्यता अंश वापसी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

5 सोसायटी के कामकाज संबंधी शिकायतों की सूचना और उनका निराकरण करना।

6 सोसायटी की ओर से लोन लेना और यह तय करना कि लोन दस्तावेजो पर सोसायटी की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।

7 सदस्यों के त्याग पत्र पर विचार करना, स्वीकार करना, निष्कासन पर निर्णय लेना।

8 अमानते प्राप्त करना।

9 प्रबंधक के कार्यों की जांच करना और यह देखना कि सोसायटी के हिसाब के या अन्य रजिस्टर ठीक ढंग से रखे जाते है।

10 वैधानिक कार्यवाही या वाद सोसायटी की ओर से या उनके किसी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध सोसायटी के कोरबार के संबंध में हो उनमें पैरवी करना, समझौता करना या वाद वापिस लेना या सोसायटी की ओर से पैरवी करने के लिए किसी संचालक/अधिकारी/कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति को अधिकृत करना।

11 साधारण निकाय द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को सोसायटी के निरीक्षण हेतु कागजात व रजिस्टर प्रस्तुत कराना तथा पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।

12 सोसायटी की वार्षिक आय व्यय पत्रक बनवाना और आगामी वर्ष के लिए साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।

13 सोसायटी की ओर से अन्य सोसायटी की सदस्यता ग्रहण करना अंश क्रय करना या वापस करना।

14 सोसायटी के हित में पूंजी का विनियोजन करना।

15 साधारण निकाय/विशेष आमसभा की बैठक बुलाना।

16 संचालक मंडल के अन्य सदस्यों में से अन्य सोसायटी/सोसायटीओ के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन करना।

17 प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च तक सोसायटी की वित्तीय पत्रक तैयार करना और साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।

18 संचालक मंडल से त्याग पत्र देने पर संचालक मंडल में उन पर विचार करना, स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

19 सोसायटी के कारोबार के संचालन के संबंध में अधिनियम एवं उपविधियों के दृष्टिगत रखते हुए संचालक मंडल के अनुमोदन पर पुरक नियम बनाना और आमसभा से अनुमोदन के पश्चात उन पर कार्य करना।

20 ऋण के प्रार्थना पत्रों का निर्णय करना। ऋण स्वीकृत करना तथा वसूली करना । ऋण की राशि न आने पर कारण मालुम करना एवं वसूली की वैधानिक कार्यवाही करना।

21 प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में सोसायटी के सदस्यों की सूची तैयार कराकर प्रकाशित करवाना।

22 सोसायटी की उपविधियों में आवश्यकतानुसार संशोधन करवाना।

23 सोसायटी के गठन व उददेश्यों की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक कार्यवाहियां करना।

24 संचालक मंडल के सदस्य साधारण, व्यवहार, कुशल होने के नाते सोसायटी का सब कार्य लगन से संचालित करेंगे एवं उस हानि के लिए उत्तरदायी

होने जो अधिनियम एवं उपविधियों के प्रावधान के विरूद्व कार्य करने में सोसायटी को हो।

25 सोसायटी के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के उददेश्य ये संचालक मंडल के सदस्यों में कार्य का विभाजन करना। सोसायटी के अधिकारियों को अपने कुछ या समस्त अधिकार प्रदत्त करना।

26 सोसायटी के कर्मचारियों, अधिकारियों से प्रतिभूति लेना जो साधारण निकाय द्वारा निश्चित की जाय।

27 अन्य कर्तव्य तथा अधिकार अधिनियम के उपबंध के अनुसार होगें।

उपविधि क्र. – 36 :

संचालक मंडल अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या प्रबंधक को सौप सकेगा किन्तु संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष प्रबंधक द्वारा किये गये कार्यो का विवरण संचालक मंडल की बैठक में पुष्टि हेतु रखना आवश्यक है।

उपविधि क्र. – 37 : –

वह समस्त कार्यवाही जो कि संचालक मंडल की बैठक में प्रस्तुत हुई हो और जिसके संबंध में चर्चा या निर्णय हुआ हो कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जावेगी, कार्यवाही विवरण प्रबंधक द्वारा लिखा जावेगा और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक के तत्काल बाद निर्णय/प्रस्ताव के विवरण के ठीक नीचे लिए जावेगे।

उपविधि क्र. – 38 :अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कृत्य–

1 सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष वे समस्त सामान्य कार्य करेगा। निर्णय लेगा जो सोसायटी के हित में आवश्यक हो।

2 उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य नहीं कर पाने की स्थिति में वह समस्त कार्य करेगा जो सोसायटी के उद्देश्यों के अनुरूप हो तथा सोसायटी के हित में आवश्यक समझे जावेगी। तथा संचालक मंडल द्वारा समय–समय पर सौपे गये दायित्वों को पूर्ण करेगा।

3 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रबंधक तथा अन्य वैतनिक कर्मचारियों के कार्यो पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा उनकी नियुक्ति, सेवा से हटायेगा, निलम्बित कर सकेगा, जांच कर सकेगा दण्डित कर सकेगा सोसायटी की प्रगति एवं विस्तार के लिए निर्णय कर सकेगा।

उपविधि क्र. – 39 : प्रबंधक की शक्तियां एवं कृत्य –

प्रबंधक सोसायटी के संचालक मंडल के सामान्य नियंत्रण में काम करेगा। प्रबंधक के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होगे –

1 सोसायटी के कार्य संचालन के लिए आवश्यक रजिस्टर तथा कागजातों को व्यवस्थित और चालू रखना। वेतन भोगी कर्मचारियों के काम की निगरानी रखना तथा उनको कार्य सौंपना एवं मार्गदर्शन देना।

2 पावतियां, रसीदें, व्हाउचर्स, चेक अन्य दस्तावेज तैयार करना व उन पर संचालक मंडल / अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षर कराना।

3 सोसायटी की ओर से सभी प्रकार के सामान्य पत्र व्यवहार करना। अध्यक्ष की सहमति से साधारण निकाय बैठक बुलाना, संचालक मंडल की बैठक बुलाना। बैठक के निर्णयों को उपविधियों के अनुसार सूचना देना तथा कार्यवाही पुस्तक में लिखना और उसे सुरक्षित रखना।

4 सोसायटी के व्यापारिक स्कंध की जांच करना एवं समय–समय पर भौतिक सत्यापन करना।

5 संचालक मंडल की स्वीकृति से आवश्यक व्यय करना।

6 प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक गत वर्ष के आय–व्यय व वार्षिक पत्रक तैयार करना और 31 मई तक उपविधियां में निर्धारित अधिकारियों को भेजना।

7 रजिस्टरों की प्रतिलिपियों को आवश्यकता पडने पर प्रकाशित करनां

8 साधारण निकाय द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से अंकेक्षण कराना तथा उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण करना तथा संचालक मंडल के समक्ष रखना।

9 बजट प्रावधानों के अनुसार व्यय करना सोसायटी की राशियों को बैंक खातों में जमा करना, निकालना तथा उसका उचित रीति से हिसाब

अन्य वे समस्त कार्य करना जो समय पर संचालक मंडल या अध्यक्ष द्वारा सौपे जाये। सोसायटी के हित में आवश्यक निर्णय लेना।

उपविधि क्र. – 40 : लेखा परीक्षा कें संचालन की प्रक्रिया और लेखा परीक्षा के

अनुपालन की समय सीमा –

सोसायटी के अंकेक्षण हेतु साधारण निकाय/संचालक मंडल सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम 2012 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा। सोसायटी अपने मुख्य कार्यालय में निम्न लेखे अभिलेख तथा दस्तावेज रखेगा।

1 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं संशोधन अधिनियम 2012 तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों की प्रति।

2 अन्य विधियों तथा विनियमों की जिनके अधीन सोसायटी है प्रतियां।

3 उपविधि की प्रति समय–समय पर किये गये संशोधनों सहित ।

4 कार्यवृत्त पुस्तिका।

5 सोसायटी द्वारा प्राप्त की गयी तथा व्यय की गई समस्त राशियों के लेखे और उनके संबंधित प्रमाणक।

6 सोसायटी द्वारा माल के समस्त क्रयों तथा विक्रयों का लेखा।

7 सोसायटी की आस्तियों तथा दायित्वों का लेखा।

8 सदस्यों की सूची पिछले वित्तीय वर्ष के बारे में उनके उत्तरदायित्वों की पूर्ति, चालू बारह महीने उस कालावधि में उनके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकारों की पात्रता जो वित्तीय वर्ष समाप्ति से साठ दिन के भीतर अद्यतन की जायेगी।

9 समिति ऐसे लेखे अभिलेख तथा दस्तावेज जैसे कि इस अधिनियम या अन्य निधियों तथा सोसायटी के विनियमों को उपविधियां द्वारा अपेक्षित किये जाये।

10 लेखी तथा अभिलेख पुस्तिकायें किसी भी संचालक द्वारा सोसायटी के कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु खुली रहेगी।

11 इस अधिनियम, उपविधियां, विनियमों की प्रतियों साधारण निकाय की कार्यवृत्त पुस्तिका मतदाता सूची तथा संव्यवहार से संबंधित लेखे तथा अभिलेख, जो सदस्य से संबंधित है सोसायटी के कार्यालय समय के दौरान किसी भी सदस्य को उपलब्ध कराये जायेंगे।

12 चालू वित्तीय वर्ष के पूर्व के कम से कम आठ वर्षो की कालावधि से संबंधित पुस्तिकायें तथा लेखे उनके समर्थित अभिलेख तथा व्हाउचरों सहित सुरक्षित रखे जायेंगे जब तक कि वे और अधिक कालावधि के लिए अन्यथा अपेक्षित न किये जाये।

उपविधि क्र. – 41 : संपरीक्षा –

सोसायटी के अंकेक्षण हेतु रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओ की संपरीक्षा करवा सकेगी ।

उपविधि क्र. – 42 : –

1 सोसायटी केन्द्रीय सहकारी अधिकोष, में बचत/चालू खाता खोल सकेगी। अथवा संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत किसी अन्य अधिकोष में ऐसे खाता खोल सकती है। सोसायटी द्वारा प्राप्त की गई सभी रकमें उक्त खातें में जमा की जावेगी।

2 सोसायटी आकस्मिक व्यय के लिए 50000/–रूपये तक या जो मंडल निश्चित करे रकम अपने पास रखेगा।

उपविधि क्र. – 43 : –

1 सोसायटी अपने सदस्यों के लिए ऋण की आपूर्ति वित्तदायी सोसायटीओं से प्राप्त कर सकेगी।

2 सदस्यों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर ऋण प्रदाय करेगी उनसे प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ऋण किसी की प्रतिभूति पर दिया जायेगा। ऋण का प्रार्थना पत्र स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

3 सदस्य को घोषणा पत्र देना होगा कि उसके द्वारा अन्य किसी सोसायटी से ऋण नहीं लिया है।

4 ऋण की वापसी अधिकतम 84 मासिक किश्तों में करना होगी। बोर्ड को अनिवार्य अमानत के तारण पर दिये हुए ऋण की वापसी की अवधि निर्धारित करने का अधिकार होगा। ऋण की [illegible] के साथ राशि रूपये 100/– मासिक अनिवार्य रूप से जमा करना होगी। ऋण की किश्त तथा अन्य देय रकम सोसायटी के कार्यालय में जमा करना होगी।

5 सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों से उनको अमानत के तारण तथा अन्य ऋणों पर प्रचलित बैंक ब्याज दर से अधिकतम एक/दो प्रतिभूत अधिक ब्याज लिया जावेगा ब्याज कटमिति सिद्धांत से लिया जावेगा। इन सीमाओं के भीतर की ब्याज की दर से फेर बदल करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

6 संचालक मंडल को अधिकार होगा कि समाधान कारक कारण से किश्त समय पर जमा न हो सक्ती हो तो ऋण पटाने की निर्धारित अवधि से अधिक से अधिक दो किश्तें बढा सके परन्तु ऐसा करना प्रतिभूतिदार (जमानतदार) की स्वीकृति के बिना संभव नहीं हो सकेगा।

7 यदि किसी सदस्य के प्रतिभूतिदार की मृत्यु हो जाये अथवा संचालक मंडल का समाधान हो कि वह प्रतिभूति रहने के लिंए अयोग्य हो गया है अथवा तारण में दी हुई सम्पत्ति अपर्याप्त हो गई है तो वह उक्त सदस्य को दूसरी प्रतिभूति देने के लिए तारण बढाने के लिए सूचना देगी, यदि इस प्रकार सूचना दी हुई अवधि पर वह दूसरा प्रतिभूति न देवे अथवा तारण न देवे तो उस प्रतिभूति पर अथवा तारण पर दिया हुआ सम्पूर्ण ऋण मय व्याज के 30 दिन की अवधि में वापस करना होगा।

8 ऋण की समय पर वसूली करने का दायित्व बोर्ड को होगा, बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह कालातीत शेष ऋण की वैधानिक रीति से वसूली करने की कार्यवाही कालातीत होने के दिनांक से 6 माह के अन्दर शुरू कर देवे ।

उपविधि क्र. – 44 : अनिवार्य तथा अन्य अमानतें –

सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों से अनिवार्य तथा अन्य अमानतें जमा कराने एवं ऋण संबंधी नियम बनाकर साधारण निकाय से अनुमोदित कराकर प्रभावशील करना होगा। प्रत्येक सदस्य को इन नियमों के अनुसार राशि सोसायटी में अनिवार्य तथा अन्य अमानतों के रूप में जमा करना होगी। ऐसी अमानतों पर समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दर से सदस्यों को ब्याज दिया जायेगा।

उपविधि क्र. – 45 : वे शर्तें जिन पर सोसायटी गैर सदस्यों से व्यवहार करेगी –

सामान्यता सोसायटी गैर सदस्यों से व्यवहार नहीं करेगी परन्तु संचालक मण्डल/बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा में सोसायटी उसके पास उपलब्ध विकास संबंधी जानकारियों या उत्पाद असदस्यों को भी उपलब्ध करा सकेगी।

उपविधि क्र. – 46 : –

वे शर्तें जिन पर सोसायटी अन्य सोसायटी या सहकारी सोसायटीओं से संयुक्त हो सकेगी।

1 सोसायटी मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 के अनुसार अन्य सोसायटी सोसायटीओं से संयुक्त हो सकेगी। इस बाबत आवश्यक व्यवसाय शर्तें समय–समय पर आवश्यतानुसार संचालक मंडल या अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष द्वारा तय की जावेगी।

2 सोसायटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सोसायटी से भिन्न संगठनों से व्यवहार कर सकेगी। इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया व्यवहार की प्रकृति को देखतें हुए संचालक मंडल से अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकेगी।

उपविधि क्र. – 47 : प्रबंधक के पद पर निम्नानुसार योग्यता के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी –

1 कम से कम न्यूनतम स्नातक शिक्षा या समतुल्य शैक्षणिक योग्यता धारक हो।

2 किसी अन्य सोसायटी के संचालक मण्डल का सदस्य न हो।

3 किसी शासकीय/ सहकारी सोसायटी से हटाया/ बर्खास्त न किया गया हो।

4 सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति में कार्य करने में मदद कर सके।

5 किसी नैतिक अधोपतन के अपराध के लिए सजा न हुई हो।

6 दिवालिया घोषित न किया गया हो।

7 वैधानिक रूप से अनुबंध करने के लिए सक्षम हो।

उपविधि क्र. – 48 : सोसायटी की मुद्रा –
सोसायटी की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी जिसका उपयोग बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेंगे। इस लिखितम पर जिस पर यह मुद्रा लगाई जावेगी बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ प्रबंधक के अथवा ऐसे पदाधिकरियों के हस्ताक्षर होगें जिन्हें इस संबंध में अधिकार दिया हो।

उपविधि क्र. – 49 : कर्मचारियों के नियम एवं सेवा शर्तें –
सोसायटी विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तें प्रवास भत्ता अवकाश नियम, सेवा निवृत्ति, वेतन व सामान्य भविष्य निधि इत्यादि तथा संचालक मंडल के सदस्य को देय प्रवास भत्ते आदि के सबंध में नियम बनायेगी।

उपविधि क्र. – 50 : कर्मचारियों की रक्षा निधि –
मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर संचालक मंडल सोसायटी के कर्मचारियों के लिए आवश्यक भविष्य रक्षा निधि तथा अन्य निधियों का प्रावधान विभिन्न प्रचलित अधिनियमों, यथा ग्रेज्यूटी भविष्य निधि अधिनियम आदि का पालन करेगी।

उपविधि क्र. – 51 : पंजीकृत पता व सोसायटी का नाम संप्रदर्शन –
संचालक मंडल मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सोसायटी का पंजीकृत पता पंजीयक को प्रेषित करेगा। पंजीकृत पते पर सोसायटी के नाम का संप्रदर्शन बोर्ड लगाया जायेगा। पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समयावधि में संबंधित सोसायटीओं/ कार्यालयों, सोसायटीओं आदि को संसूचित किया जावेगा।

उपविधि क्र. – 52 : भवन एवं सम्पत्ति

अपने निर्धारित उददेश्यों की पुर्ति के लिए सोसायटी को जिन कार्यालयों छाबरियो (शेडस) और गोदामों की आवश्यकता हो उन्हें साधारण निकाय के पूर्व निर्णय से बना सकेगा या किराये पर ले सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए भूमि प्राप्त करेगा।

उपविधि क्र. – 53 : रजिट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणिया –

सोसायटी , सोसायटी के किसी अधिकारी या कर्मचारी पर इस बात का विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व नियत करेगी कि वह ऐसे अभिलेख,रजिस्टर,लेखा ,पुस्तकें बनाए रखे और सोसायटी रजिस्ट्रार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छह मास के भीतर विवरणियां प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे अर्थात : 1. उसके क्रियाकालापों की वार्षिक रिपोर्ट, 2. उसके लेखाओं के परीक्षित तुलनपत्र , 3. सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अतिशेष व्ययन के लिए प्लान 4. उसके साधारण निकाय का सम्मिलन आयोजित करने की तारीख के संबंध में घोषणा तथा निर्वाचन कराना , जब अपेक्षित हो ।

उपविधि क्र. – 54 : विवाद

सोसायटी के विवाद जो इन उपविधियों के अथवा सदस्य या सदस्यों या मृत सदस्यों की मार्फत दावा करने वाली किसी व्यक्ति के मध्य वाद प्रतिवाद इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटारे किये जायेगें।

उपविधि क्र. – 55 : विविध

अन्य जिन व्यवस्थाओं का पृथक उल्लेख इन उपविधियों में न किया हो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं सशोधन अधिनियम 2012 के प्रावधानो के अनुसार किया जावेगा।

उपविधि क्र. – 56 : परिसमापन के अधीन निधियो के व्ययन की रीति